

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० परमाना
 पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिराके अनुसार जमाबंदी तथा पत्रावली के खाता सं. 71 में जमीन का हि. 5/36 दर्ज है जकाई टकमाऊ रोजी. सं. 201903220101264 दिनांक 06/11/2021 (खसबत) का दर्ज होरे खसबत श्रवण पु. भुंगाराम का हि. 5/36 / श्रवण पु. भुंगाराम व कुंदराम पु. भुंगाराम के श्रवण का हि. 5/36 / कुंदराम का हि. 13/72 / कुंदराम का हि. 1/3 हो गया। खसबत प्रथम पत्र के हिस्सा पुत्रों पर उपरोक्त खातेदारी का हि. 1/3 प्रथम का हि. 1/6 व श्रवण का हि. 1/6 दर्ज होगा। अतः उचित आदेशों से खाते में उचितता है।
 कार्यालय, तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :- 12/11/2021

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णित अनुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभियान की जाती है / नहीं की जाती है।

1300
2021

प्रशासन गाँवों के काम अभियान 2021

उत्तर
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी
 दिनांक :- 12/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुत (राज.)
 - आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पतपुरा	2075 -2078	71	कुंदराम पु. भुंगाराम हि. 13/72 श्रवण पु. भुंगाराम हि. 1/3 श्रवण पु. भुंगाराम हि. 5/36	कुंदराम पु. भुंगाराम हि. 1/6 कुंदराम पु. भुंगाराम हि. 1/6 श्रवण पु. भुंगाराम हि. 1/6

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 12/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1060-61
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (नू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

